

केन्द्रीय सूचना आयोग
द्वितीय तल, अगस्त क्रांति भवन
भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली - 110066.

प्रथम अपील सं. CIC/AA/A/2017/231
संदर्भ संचिका सं. CICOM/A/2017/00224
CICOM/R/2017/00714

दिनांक: 20.07.2017

अपीलकर्ता : श्री आर. सी. बौड़ाई,
एच-171-बी, सेक्टर - 11,
प्रताप विहार, गाजियाबाद ।

निर्णय की तारीख : 20.07.2017

आर.टी.आई. आवेदन की तिथि	02.06.2017
आर.टी.आई. के तहत सूचना प्रदान करने की तिथि	14.06.2017
प्रतिउत्तर देने वाले जन सूचना अधिकारी	श्री ए.के. शर्मा
प्रथम अपील दाखिल करने की तिथि	10.07.2017
आयोग में प्रथम अपील का डायरी सं. व तिथि	149119/18.07.2017

1. अपीलकर्ता ने अपने दिनांक 02.06.2017 के आर.टी.आई. आवेदन के माध्यम से 15 बिंदुओं पर सूचनाएं मांगी थी, जिसके प्रतिउत्तर में श्री ए. के. शर्मा, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी द्वारा प्रदान की गई सूचना के विरुद्ध अपीलकर्ता ने प्रथम अपील दाखिल किया है ।

2. संबंधित संचिका का अवलोकन करने पर पाया गया कि अपीलकर्ता के दिनांक 02.06.2017 के आर.टी.आई. आवेदन के संबंध में श्री ए. के. शर्मा, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी द्वारा प्रदान की गई सूचना में भूलवश आवेदन का दिनांक 02.06.2017 की जगह 30.05.2017 लिखा गया है, परन्तु प्रदान की गई सूचना बिल्कुल सही है । साथ ही यह भी उल्लेख किया जाता है कि संबंधित विभाग द्वारा आयोग का आदेश का अनुपालन नहीं किया जाता है तो आयोग के आदेश सं. का उल्लेख करते हुए आयोग को पत्र लिख जा सकता है, इसके लिए आयोग में कम्प्लाइंस सेल भी बना हुआ है ।

3. तदुसार अपील निस्तारित की जाती है ।

4. प्रस्तुत संदर्भ में अपीलकर्ता यदि इस आदेश/निर्णय से संतुष्ट न हों तो अधिनियम की धारा 19(3) के अंतर्गत द्वितीय अपील इस आदेश की प्राप्ति के 90 दिनों के अंदर केन्द्रीय सूचना आयोग, 'सी' विंग, अगस्त क्रांति भवन, भिकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली - 110066 में की जा सकती है ।

राकेश
(आर. के. सिंह)
अपर सचिव एवं
प्रथम अपीलीय अधिकारी

प्रतिलिपि :

1. श्री ए. के. शर्मा, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी, आर.टी.आई. प्रकोष्ठ, केन्द्रीय सूचना आयोग, नई दिल्ली ।

